

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 930 FP/UK/ROAD/31469/2018 दिनांक: देहरादून 25 सितम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक (0.860 हे०) मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 01-01-2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 01-01-2020 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	बिन्दु संख्या-2 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत Kml file पर प्रस्तावित मार्ग का आरम्भ बिन्दु अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित मोटर मार्ग का आरम्भ बिन्दु दर्शाते हुये सही के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन पैरा-C(ii)(b), part-I पर अपलोड करें साथ ही लाभान्वित ग्रामों की स्थिति भी के०एम०एल० फाईल पर अंकित करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Existing road Kml file पर बेंगनी (Violet) रंग (कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग एस०एच० 34) से प्रदर्शित किया गया है व ग्राम कनोठ व गैरोली को भी के०एम०एल० फाईल पर दर्शाते हुये सही के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन पैरा-C(ii)(b), part-I पर अपलोड कर दी गयी है।
2	लाभान्वित ग्रामों की मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी प्रस्तुत करें तथा इन ग्रामों को मुख्य मार्ग से पृथक-पृथक जोड़ने के विकल्प का परीक्षण कर सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यतः लाभान्वित ग्राम कनोठ व गैरोली (अन्तिम बिन्दु) है। मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त ग्राम कनोठ लगभग 800 मी० व ग्राम गैरोली 3.00 किमी० पर मुख्य मार्ग से जुड़ेगा। इन ग्रामों को जोड़ने हेतु चयनित संरक्षण ही उपयुक्त है, जो कि तकनीकी रूप व भूगर्भवेत्ता द्वारा भी उचित बताया गया है। अन्यत्र कोई भी उचित विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मुख्य मोटर मार्ग के नीचे छोटे-छोटे ग्राम भी हैं जिन पर मलवा गिरने का अत्यन्त खतरा है। अवगत कराना है कि यह भौगोलिक रूप से पहाड़ी इलाका है जहां पर वर्षाकाल व किसी व्यक्ति के बीमार होने पर मुख्य मार्ग तक पहुंचने में न्यूनतम 1 घन्टे का समय लग जाता है, जिससे जान माल की क्षति बनी रहती है।
3	बिन्दु संख्या-5 के प्रतिउत्तर में Employment detail अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार सही Employment detail ऑनलाईन पैरा-E, part-I पर अपलोड करना सुनिश्चित करें	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Employment detail ऑनलाईन Form A, Part-I, Para-E(iii) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 25/9/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी